

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 30/2020

अपीलार्थी-

बनाम

उत्तरदाता-

पूराराम पुत्र राणाराम
जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा
(जाजवा) तहसील गिड़ा जिला
बाड़मेर

तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.07.2020 जो प्रकरण सं.
15/2019 मे तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री छैलसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.07.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गिड़ा द्वारा प्रकरण सं. 15/2019 सरकार बनाम पूराराम मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का जाजवा द्वारा तहसीलदार गिड़ा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जाजवा के खसरा नम्बर 805 रकबा 226-19 बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से 0-01 बीघा पर गैर सायल पूराराम पुत्र राणाराम निवासी सरदारपुरा (जाजवा) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर द्वारा पक्की दुकान बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार गिड़ा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार गिड़ा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 28.07.2020 के द्वारा 05/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. अपीलांत के अधिवक्ता को प्रस्तुत अपील पर बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आज अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। अपीलांत ने जरिये अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलान्त का कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांत के पिताजी के नाम से पुराना कब्जा व रहवास होने के आधार पर पट्टा संख्या 7 दिनांक 04.01.1975 को जारी किया जा चुका है। इस तथ्य की पुष्टि अपीलांत के भाई केसा के नाम प्रकरण संख्या 49/88 अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट तथा उक्त भूखण्ड में विद्युत संबंध अपीलांत की माताजी के नाम का होने के तथ्यों से भी होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के आधिपत्य की निर्मित पक्की दुकान आबादी भूमि से बाहर होकर गैर मुमकिन ओरण में होने के संबंध में कोई भू-माप सीमा ज्ञान की रिपोर्ट, मौका फर्द साक्ष्य में रेकॉर्ड पर नहीं ली गई है, न ही अपीलाधीन आदेश में यह फाइन्डिंग दी गई है कि अपीलांत द्वारा निर्मित उक्त पक्की दुकान आबादी से बाहर ओरण में स्थित है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि गांव जाजवा



की अधिकांश आबादी उक्त ओरण भूमि में अवस्थित है तथा पटवार घर, सरकारी विद्यालय, अस्पताल तथा जलदाय विभाग के कार्यालय भी उक्त ओरण भूमि में ही बने हुए हैं। ग्राम जाजवा के खसरा नं. 525 की आबादी अधिक हो जाने के कारण आबादी भूमि की आवश्यकता होने के पर ग्राम पंचायत जाजवा द्वारा सन् 2002 में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को भिजवाया गया था। इसके क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ12(3)(67)/राज./2003/3713 दिनांक 06.08.2003 के द्वारा श्रीमान शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित भी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को गैर मुमकिन ओरण भूमि पर नाजायज अतिक्रमी घोषित किया जाना न्यायोचित होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांत के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांत द्वारा ग्राम जाजवा के खसरा नम्बर 525 रकबा 640-05 बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से 0-01 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांत को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलांत व उसके परिवार के सदस्य महज अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं। पुराना कब्जा होने मात्र से गैर मुमकिन ओरण भूमि पर काबिज रहने के अधिकार अपीलांत को नहीं है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर हल्का पटवारी जाजवा से करवाई जांच में गैर मुमकिन ओरण भूमि पर पाये गये अतिक्रमणों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांत द्वारा कथित आबादी विस्तार प्रस्ताव के संबंध में कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम जाजवा में पटवार घर खसरा नंबर 773/525



में, सरकारी विद्यालय खसरा नंबर 774 / 525 व 803 / 770 में तथा जलदाय विभाग 776 / 525 में आवंटित भूमि पर बने हुए हैं। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने अपीलांत की अपील एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत के द्वारा गांव जाजवा की आबादी विस्तार के लिये गैर मुमकीन भूमि ओरण से गैर मुमकीन आबादी में संपरिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित/अनुमोदित होना प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में अपीलांत ने अपने कब्जे को विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के अधीन आवंटन योग्य होने का कोई तथ्यपरक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यदि पूर्व में विवादित ओरण भूमि में से आबादी भूमि आवंटित हुई है तो उसका राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है। इसके बावजूद अपीलांत ने उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर ओरण भूमि में कब्जा कर निर्माण किया है, जो इस आधार पर कतई विधिक नहीं ठहराया जा सकता कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया गया है। ऐसे में अपीलांत इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक-स्वामित्व साबित करने में विफल रहा है तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांत की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।



अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2020 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गिड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)